

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

कार्यालय आदेश

सचिका सं०-171/आरोप इकाई/2016

श्री विपिन कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना(उच्च माध्यमिक प्रभाग) द्वारा समिति कर्मियों के स्थानान्तरण के संबंध में कार्रवाई के क्रम में तीन वर्ष से अधिक समय से पदास्थापित कर्मियों से संबंधित गलत प्रतिवेदन देने, एक ही कर्मी का दो बार नाम अंकित करने एवं कार्य स्थल से बार-बार अन्यत्र चले जाने से स्थानान्तरण कार्य बाधित हुआ है। यह आचरण उनके कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः कार्य के प्रति उदासीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं आदेश की अवहेलना कर गलत प्रतिवेदन देने के लिए श्री विपिन कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना(उच्च माध्यमिक प्रभाग) को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली 1964 के अध्याय-X के विनियम-48(i) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में ये अपनी उपस्थिति स्थापना(माध्यमिक प्रभाग) में दर्ज करेंगे। उपस्थिति के आधार पर श्री सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आरोप पत्र बाद में निर्गत किया जाएगा।

2.  
17/6/16  
सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक.....सच. सं. 3028..... पटना दिनांक.....17-06-.....2016  
प्रतिलिपि:-सभी पदाधिकारी/सभी प्र० पदा०/स्थापना (मा० एवं उच्च मा० प्र०)/लेखा स्थापना (मा० एवं उच्च मा० प्र०)/सेवापुरितका इकाई एवं श्री विपिन कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना(उच्च माध्यमिक प्रभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.  
17/6/16  
सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक.....सच. सं. 3028..... पटना दिनांक.....17-06-.....2016  
प्रतिलिपि:-अध्यक्ष/सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.  
17/6/16  
सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।  
17/6/16